फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर — श्रीमति रामप्यारी बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

केस संख्या 67/2023 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया (सुनाया) गया। पत्रावली नियम से कार्य होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader Pl examine & report

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय सांगानेर

वादपत्र संख्या 67/2023

1 श्रीमती रामप्यारी पत्नि श्री रामचन्द्र जाति मीणा, निवासी प्लाट नम्बर–03, शंकर कॉलोनी ,सरकारी स्कूल के पास सवाई गैटोर जगतपुरा तहसील–सांगानेर, जयपुर। ...वादी

बनाम

1 जयपुर विकास प्रधिकारण जरिये आयुक्त पता जवाहरलाल नेहरु मार्ग जयपुर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पता तहसील कार्यालय तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

3 श्योबक्स पुत्र स्व0 भीमाराम

4 मन्नालाल

5 हरलाल

6 कानाराम

समस्त जाति मीणा, निवासी प्लांट नम्बर– 03, शंकर कॉलोनी ,सरकारी स्कूल के पास सवाई गैटोर जगतपुरा, तहसील–सांगानेर, जयपुर।

प्रारुपिक प्रतिवादीगण

वाद बावत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा तथा सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्रीमान्,

वादी की ओर से वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यह कि वादी की स्वामित्व की पैतृक भूमि साबिक खसरा नम्बर 529 रकबा 02 बीघा 18 बीस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 527 रकबा 09 बीघा 09 बीस्वा ग्राम सवाई गेंटोर तहसील सांगानेर में स्थित रही हैं।

2 यह कि साबिक खसरा नम्बर 529 रकबा 02 बीघा 18 बीस्वा भूमि संवत 2015 अर्थात 1957 से वादी के हकपूर्वाधिकारी स्व० भीमाराम पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/80 के नाम आदिनांक के राजस्व अभिलेखो निरन्तर चली आ रही है।

3 यह कि वादी के हकपूर्वाधिकारी भीमाराम के पॉच पुत्र स्व0 कन्दा , श्योबक्स , मन्नालाल, हरलाल , कानाराम , हुए तथा वादी के हकपूर्वाधिकारी भीमाराम का देहान्त दिनांक हो जाने के पश्चात विधि

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:42 IST
Reason: SelfAttested